रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 296] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 1970/श्रावण 23, 1892

No. 296] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 1970/SRAVANA 23, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August 1970

S.O. 2744.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), steel bars, rods and other sections re-rolled from untested billets shall be subject to quality control and inspection prior to export:

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same, within

thirty days of the date of publication of this notification in the Official Gazette to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1-B, Ezra Street, Calcutta-1.

Proposals

(1) To notify that steel bars, rods and other sections re-rolled from untested billets shall be subject to quality control and inspection prior to export.

(2) To specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Steel Bars, Rods and other sections re-rolled from untested Billets (Quality Control and Inspection) Rules, 1970, set out in Annexure I to this notification as the type of inspection which will be applied to such steel bars, rods and other sections re-rolled from untested billets prior to export.

(3) To recognise the specifications as set out in Annexure II to this notification as the standard specification for steel bars, rods and other sections re-rolled from untested billets.

(4) To prohibit the export, in the course of international trade, of steel bars, rods and other sections made from untested billets unless the consignment of such products is accompanied by a certificate issued by the Indian Standards Institution to the effect that the same conforms to the specifications recognised under sub-paragraph (3).

3. In this notification, 'Steel bars, rods and other sections' means steel bars, rods and other sections made from untested billets of only primary steel producers and does not include billets made from scrap.

4. Nothing in this notification shall apply to the export by sea, land or air of samples of steel bars, rods and other sections re-rolled from untested billets to prospective buyers, the f.o.b. value of which does not exceed rupees one hundred and twentyfive.

ANNEXURE I

[*See* sub-paragraph (2) of paragraph 2]

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Export of Steel Bars, Rods and other Sections Re-rolled from untested Billets (Quality Control and Inspection) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the

2. **Definition.**—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(b) 'Council' means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act.

(c) 'Steel bars, rods and other sections' means steel bars, rods and other sections made from untested billets of only primary steel producers and does not include billets made from scrap.

3. **Basis of inspection.**—Inspection of steel bars, rods and other sections re-rolled from untested billets shall be carried out with a view to seeing that the same conform to the Standard Specification recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

4. **Procedure of inspection.**—(1) The exporter intending to export steel bars, rods and other sections re-rolled from untested billets shall give intimation in writing of his intention so to do to the Indian Standards Institution to enable it to carry out inspection in accordance with rule 3.

(2) (a) Every intimation under sub-rule (1) shall be given not less than 10 days before the scheduled date of shipment.

(b) A copy of the intimation shall simultaneously be endorsed to the nearest office of the Export Inspection Council either at 14/1-B, Ezra Street (7th floor), Calcutta or at 'Mani Mahal' (2nd floor), 11/21, Mathew Road, Bombay-4 or at 6B/9, Northern Extension Area, Rajinder Nagar, New Delhi-5.

(3) On receipt of the intimation under sub-rule (2) the Indian Standards Institution shall carry out the inspection of the steel bars, rods and other sections re-rolled from untested billets in accordance with rule 3 and instructions, if any, issued by the Council in this regard.

(4) (a) If, after inspection, the Indian Standards Institution is satisfied that the goods conform to the specification recognised by the Central Government under section 6 of the Act, it shall (within forty-eight hours after completion of the inspection) issue a certificate to the exporter declaring that the consignment satisfies the conditions relating to quality control and inspection and is export-worthy.

(b) The Indian Standards Institution shall simultaneously endorse a copy of such certificate to the nearest office of the Council.

5. **Place of inspection.**—Inspection of steel bars, rods and other sections re-rolled from untested billets shall be carried out at the premises of the manufacturer.

6. **Inspection fee.**—A fee at the rate of 25 paise per tonne shall be paid by the exporter to the Indian Standards Institution as inspection fee under these rules.

7. **Appeal.**—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 4, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The quorum for the panel shall be three.

(3) The decision of the said panel on such appeal shall be final.

ANNEXURE II

[*See* sub-paragraph (3) of paragraph 2]

Minimum specifications.

1. Steel bars, rods and other sections shall be re-rolled from billets manufactured by any of the primary steel manufacturers. Materials re-rolled from billets manufactured from scrap shall not be allowed for export.

2. All finished steel shall be well and cleanly rolled to the dimensions, section and weights specified. The finished material shall be free from cracks, surface flaws, laminations, rough, jagged and imperfect edges, and all other harmful defects.

3. Dimensions and weights shall be as stipulated in the export contract. The tolerances on dimensions shall conform to IS: 1852-1962 and the tolerances on weight shall be within ± 6 per cent per metre.

4. The tensile strength shall not be less than 32 kgf/mm^2.

5. The elongation shall not be less than 26 per cent when ultimate tensile strength is in the range of 32-44 kgf/mm². In cases, where ultimate tensile strength exceeds 44 kgf/mm², the elongation shall not be less than 23 per cent.

6. Except in case of round bars of 25 mm or less in diameter, the test piece when cold shall, without fracture, be doubled over either by pressure or blow from a hammer until the internal diameter is not greater than 3 times the thickness of the test piece and the sides are parallel.

In case of round bars of 25 mm or less in diameter, the internal diameter of the bend shall not be greater than twice the diameter of the bar.

7. Packages shall conform to I.S: 3422-1966 and shall bear the manufacturer's name or trade mark.

8. Sampling and inspection of each consignment shall be done in accordance with the scale prescribed in the Table below. The consignment shall be considered to be in conformity with the requirements of the standard if the conditions prescribed in the Table are satisfied.

TABLE

(*See Clause* -8)

Sl. No.	Reference to Clause Nos.	Characteristics	Lot size	No. of samples to be tested in a lot	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	4	Tensile strength	40 tons or part thereof of steel sections of the same profile and size.	Two	In case of any failure, two more samples shall be tested. if any futher failure occurs, the lot shall be rejected.
2	5	Elongation.	Do.	Two	Do.
3	6	Bend Test	Do.	Two	Do.
4	2	Freedom from defects	100 lengths or part thereof of steel sections of the same profile and size.	5	Nil.
5	3	Dimensions and weight	Do.	2	Nil.

[No. 60(30)/69-Exp. Insp.]

K. S. BHATNAGAR, J. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1970

का०आ० 2744.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963

(1963का 22)की धारा 6द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपरीक्षित बिलेटों से पुनः बेल्लित इस्पात की पट्टियां, छड़ें और अन्य खण्ड निर्यात से पूर्व गुण नियंत्रण और निरीक्षण के अध्यधीन होंगे:

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और निर्यात (अगुणनियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम(2) द्वारा यथापेक्षित उन्हें निर्यात निरीक्षण परिषद को अग्रेषित किया है ।

अतः अब उक्त उपनियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त प्रस्तावों को उस जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिसकी उनसे प्रभावित होने की संभावना है ।

2. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति जो उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजने का इच्छुक हो इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीक के तीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर', 14/1–बी एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता–1 को भेज सकता है ।

प्रस्ताव

1. यह अधिसूचित करने के लिये कि अपरीक्षित बिल्टों से पुनः बेल्लित इस्पात की पट्टियां, छड़ें और अन्य खण्ड निर्यात से पूर्व गुण नियंत्रण और निरीक्षण के अध्यधीन होंगे ।

2. निरीक्षण के उस प्रकार को विनिर्दिष्ट करने के लिये जो इस अधिसूचना के उपाबंध 1 में दिये गये अपरीक्षित बिलेटों से पुनः बेल्लित इस्पात की पट्टियों, छड़ों और अन्य खण्डों का निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1970 के प्रारूप के अनुसार जो ऐसे अपरीक्षित बिलेटों से पुनः बेल्लत इस्पात की पट्टियों, छड़ों और अन्य खण्डों को निर्यात से पूर्व निरीक्षण के प्रकार के रूप में लागू होगा ।

(3) इस अधिसूचना के उपाबंध 11 में दिये गये विनिर्देश को अपरीक्षित बिलेटों से पुनः बेल्लित इस्पात की पट्टियों, छड़ों और खण्डों के लिये मानक विनिर्देश के रूप में मान्यता देना ।

(4) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान अपरीक्षित बिलेटों से बने हुए इस्पात की पट्टियों, छड़ों और बने हुए अन्य खण्डों के निर्यात का तब तक प्रतिषेध करना जब तक कि ऐसे उत्पादों के प्रेषण के साथ भारतीय मानक संस्था द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाण पत्र न हो कि वे उप-पैरा (3) के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप हैं ।

3. इस अधिसूचना में 'इस्पात की पट्टियों, छड़ों और अन्य खण्डों, से केवल प्राथमिक इस्पात उत्पादकों की अपरीक्षित बिलेटों से बने हुए इस्पात की पट्टियां, छड़े और अन्य खण्ड अभिप्रेत हैं और इसमें रद्दी माल से बने हुए बिलेट सम्मिलित नहीं हैं ।

4. इस अधिसूचना की कोई बात अपरीक्षित बिलेटों से पुनः बेल्लित इस्पात की पट्टियों, छड़ों और अन्य खण्डों के उन नमूनों के समुद्र, स्थल और वायु द्वारा निर्यात पर लागू नहीं होगी जिनका भावी क्रेता के लिये पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य एक सौ पच्चीस रुपये से अधिक नहीं है ।

उपाबन्ध—I

(पैरा 2 का उप पैरा (2) देखिए

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्थापित नियमों का प्रारूप ।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—**

(1) ये नियम अपरीक्षित बिलेटों से पुन:बेल्लित इस्पात की पट्टियों, छड़ों और अन्य खण्डों का निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.—**इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (गुण नियंत्रण क और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ।

(ख) 'परिषद्' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है ।

(ग) 'इस्पात की पट्टियों, छड़ों और अन्य खण्डों' से केवल प्राथमिक इस्पात उत्पादकों की अपरीक्षित बिलेटों से बने हुए इस्पात की पट्टियां, छड़ें और अन्य खण्ड अभिप्रेत हैं, और इसमें रद्दी माल से बने हुए बिलेट सम्मिलित नहीं हैं ।

3. **निरीक्षण का आधार:—**अपरीक्षित बिलेटों से पुन:बेल्लित इस्पात की पट्टियों, छड़ों और अन्य खण्डों का निरीक्षण यह देखने के आशय से किया जाएगा कि वे अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं ।

4. **निरीक्षण की प्रक्रिया:—**

(1) कोई निर्यातकर्ता जो अपरीक्षित बिलेटों से पुन:बेल्लित इस्पात की पट्टियों, छड़ों और अन्य खण्डों का निर्यात करना चाहता हो, ऐसा करने के अपने आशय का लिखित प्रज्ञापन भारतीय मानक संस्था को देगा ताकि वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण करने में समर्थ हो सके ।

(2) (क) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक प्रज्ञापन पोतभरण की संभावित तारीख से 10 दिन से अन्यून पहले दी जाएगी ।

(ख) प्रज्ञापन की एक प्रति साथ साथ निर्यात निरीक्षण परिषद् के निकटस्थल कार्यालय, या तो 14/1-बी एजरा स्ट्रीट (7वीं मंजिल) कलकत्ता, या 'मनी महल' (दूसरी मंजिल), 11/21, मैथ्यू रोड, मुम्बई–4, या 6बी/9, नार्दर्न एक्सटेंशन एरिया, राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली–5 को, पृष्ठांकित की जाएगी ।

(3) उपनियम (2) के अधीन प्रज्ञापन की प्राप्ति पर भारतीय मानक संस्था नियम 3 की और परिषद् द्वारा इस बाबत जारी किये गये अनुदेशों, यदि कोई है, के अनुसार अपरीक्षित बिलेटों से पुन: बेल्लित इस्पात की पट्टियों, छड़ों और अन्य खण्डों का निरीक्षण करेगी ।

(4) (क) यदि, निरीक्षण के पश्चात्, भारतीय मानक संस्था का यह समाधान हो जाए कि माल अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है तो वह (निरीक्षण के पूर्ण हो जाने के अड़तालिस घंटों के भीतर) निर्यात-कर्ता को यह घोषणा करते हुए कि प्रेषण निर्यात योग्य है, एक प्रमाणपत्र जारी करेगी ।

(ख) भारतीय मानक संस्था ऐसे प्रमाण पत्र की एक प्रति परिषद् के निकटस्थ कार्यालय को साथ साथ पृष्ठांकित करेगी ।

5. **निरीक्षण का स्थान.**—अपरीक्षित बिलेटों से पुनःबेल्लित इस्पात की पट्टियों, छड़ों और अन्य खण्डों का निरीक्षण विनिर्माता के परिसर पर निष्पादित किया जाएगा ।

6. **निरीक्षण फीस.**—निर्यात कर्ता द्वारा, इन नियमों के अधीन, भारतीय मानक संस्था को निरीक्षण के रूप में फीस 25 पैसे प्रति टन की दर से संदाय की जाएगी ।

7. **अपील.**—.

(1) अभिकरण द्वारा नियम 4 के उपनियम (4) के अधीन प्रमाण-पत्र देने से इन्कार करने के कारण व्यथित कोई व्यक्ति, उसे ऐसी संसूचना की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त तीन से अन्यून व्यक्तियों के विशेषज्ञों के एक पेनल को अपील कर सकता है ।

(2) पेनल की गण संख्या तीन होगी ।

(3) ऐसी अपील पर पेनल का विनिश्चय अंतिम होगा ।

उपाबन्ध–II

[पैरा 2 का उपपैरा (3) देखिए]

न्यूनतम विनिर्देश

1. इस्पात की पट्टियां, छड़ें और अन्य खण्ड, किसी प्राथमिक इस्पात विनिर्माता द्वारा विनिर्मित बिलेटों से पुनःबेल्लित की जायेगी । रद्दी माल से विनिर्मित बिलेटों से पुनः बेल्लित सामग्री को निर्यात के लिये अनुज्ञा नहीं होगी ।

2. सब तैयार इस्पात अच्छी तरह और सफाई से विनिर्दिष्ट विमाओं, खण्डों और भारों में बेल्लित की जाएगी । तैयार सामग्री, दरारों, तल दोषों, परतबंदी, रुक्ष, कंटीला और अपूर्ण किनारों से और अन्य सभी हानिकारक दोषों से मुक्त होगी ।

3. विमाएं और भार वे होंगे जो निर्यात संविदा में ठहराए गये हैं । विमाओं की गुंजाइश भारतीय मानक 1852–1962 के अनुरूप होगी और भार की गुंजाइश $\pm$ 6 प्रतिशत प्रति मीटर के भीतर होगी ।

4. तनन सामर्थ्य 32 के जी एफ/ मिलीमीटर 2 से अन्यून होगी ।

5. दीर्घीकरण, जब चरम तनन सामर्थ्य 32—44 के जी एफ/मि०मी० 2 के रेंज में हो, 26 प्रतिशत से अन्यून होगा । उन दशाओं में जहां चरम तनन सामर्थ्य 44 के०जी०एफ/ मि०मी० 2 से अधिक हो जाती है वहां दीर्घकरण 23 प्रतिशत से अन्यून होगा ।

6. 25 मिली मीटर या कम व्यास की गोल पट्टियों की दशा के सिवाय परीक्षण टुकड़ा जब ठंडा हो बिना विभंजन के या तो दाब द्वारा या हथौड़े से पीटने पर, जब तक कि भीतरी व्यास परीक्षण टुकड़े की मोटाई के तिगने से अधिक न हो जाए और भुजाएं समान्तर न हों जाएं दुगना हो जाएगा ।

25 मिली मीटर या कम व्यास की गोल पट्टियों की दशा में बैण्ड का भीतरी व्यास पट्टी के व्यास के दुगने से अधिक नहीं होगा ।

7. पैकेज भारतीय मानक 3422-1966 के अनुरुप होंगें और इन पर विनिर्माता का नाम या व्यापार चिन्ह होगा ।

8. प्रत्येक प्रेषण का प्रतिचयन और निरीक्षण निम्नसारणी में विहित मापमानों के अनुसार किया जाएगा । यदि सारणी में विहित शर्तें पूरी हो जाती हैं तो प्रेषण मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप समझा जाएगा ।

सारणी

(खण्ड–8 देखिए)

क्रम सं०	खण्ड सं० का हवाला	लक्षण	लाट आकार	लाट में परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	4	तनन सामर्थ्य	उसी परिच्छेदिका और आकार के 40 टन या उसके भाग के इस्पात के खण्ड	दो	विफल होने की दशा में दो और नमूने परीक्षित किए जाएंगे यदि और विफलता होती है तो लाट अगृहीत किया जाएगा ।
2	5	दीर्घाकरण	उसी परिच्छेदिका और आकार के 40 टन या उसके भाग के इस्पात के खण्ड ।	दो	विफल होने की दशा में दो और नमूने परीक्षित किए जाएंगे यदि और विफलता होती है तो लाट अगृहीत किया जाएगा ।
3	6	बैंड परीक्षण	यथोक्त	दो	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
4	2	दोषों के मुक्ति	उसी परिच्छेदिका और आकार की इस्पात खण्डों की 100 लंबाई या उनके भाग।	पांच	कुछ नहीं
5	3	विमाएं और भार	यथोक्त	दो	कुछ नहीं ।

[सं० 60(30)/69-एक्सपो० इनपे०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव,।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970